**सम्पदा इकाई**
**(उद्यान एवं स्वच्छता अनुभाग)**
भारतीय पशु–चिकित्सा अनुसंधान संस्थान,
इज्जतनगर, बरेली – 243122 (उ0 प्र0)

पत्रांक सं0 15–10/2015/सं0इ0 दिनांक–09.04.2025

## <u>नीलामी सूचना</u>

भारतीय पशु–चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर में संस्थान परिसर से निकले हुये अजैविक कूड़ा जैसे– दूध की थैली, प्लास्टिक कैरी बैग, चिप्स/नमकीन के पैकेट व प्लास्टिक बोतल, गत्ता ,कॉच के टूटे सामान व अखवारी रददी सामानों जो कि फार्म के प्लाट सं0 18 व 19 में एकत्र होता है की नीलामी खुली बोली के माध्यम से **दिनांक– 25.04.2024 को अपराहन 3.00 बजे <u>प्रभारी, सम्पदा इकाई अनुभाग</u> <u>के कार्यालय</u>** में कराया जाना सुनिश्चित किया गया है। इच्छुक व्यक्ति **<u>दिनांक– 25.04.2024 को अपराहन 3.00 बजे प्रभारी, सम्पदा इकाई अनुभाग</u> <u>के कार्यालय</u>** में उपस्थित हो कर संलग्न नियम– शर्तों के अनुसार नीलामी प्रकिया में सम्मिलित हो सकते है।

प्रभारी

<u>सूचना बोर्ड–</u>

आई0वी0आर0आई मेन गेट, केन्द्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भण्डार, सी0 ए0 आर0 आई0 के मेनगेट के बाहर, डी0टी0 अनुभाग, फार्म अनुभाग, के0 वी0 के0 फार्म ,नगर निगम कार्यालय, फल मण्डी डेलापीर बरेली।

<u>प्रतिलिपि–</u>

प्रभारी कम्प्यूटर सेन्टर को इस आशय के साथ प्रेषित है कि उपरोक्त नीलामी सूचना संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करने की कृपा करें।

प्रभारी
9.4.25
**प्रभारी अधिकारी**
सम्पदा इकाई
भा0प0चि0अनु0सं0, इज्जतनगर

## वर्ष 2025–26 हेतु अजैविक कूड़े की नीलामी हेतु नियम एंव शर्तें

1–संस्थान में अजैविक कूड़ा केवल फार्म अनुभाग के प्लाट सं0 18 व 19 जहॉ कूड़े का निस्तारण किया जाता है से ही उठाया जायेगा इसके अतिरिक्त यदि किसी अन्य् स्थान से कूड़ा एकत्र करते हुये पकड़ा जाता है तो रू0 1000/– हर बार दण्ड लगाया जायेगा।

2–कूड़े में केवल सिंगल यूज प्लास्टिक, गत्ता, पठन–पाठन सामग्री, दूध/प्लास्टिक की थैली, नमकीन/विस्कुट व अन्य खाद्य सामग्री के रैपर/शीशी व टूटा कॉच आदि सम्मिलित होगा। किसी प्रकार के बिजली के उपकरण/पार्ट लोहा, लकड़ी टायर–टयूब, बैट्री, कैमिकल की वोतल, ग्लासवेयर तथा किसी प्रकार के मौसमी फल आदि सम्मिलित नहीं हैं यदि ऐसा सामान ले जाते हुये पाया जाता है तो रू0 1000/– हर वार दण्ड लगाया जायेगा।

3–गत वर्ष के नीलामी मूल्य को ध्यान में रखते हुये नीलामी समिति द्वारा निर्धारित मिनीमम बोली से प्रारम्भ की जायेगी।

4–उपरोक्त अजैविक कूड़ा को ले जाने हेतु जानवरों से चालित वाहन जैसे– घोड़ा गाड़ी, तांगा, बुग्गी इत्यादि पूर्णतः वर्जित होगा।

5–अजैविक कूडे को ले जाने हेतु बाहन को भरने की सूचना प्रभारी,सम्पदा इकाई को देना होगी उसके उपरान्त ही गेट पास जारी होगा।

6–केता/ठेकेदार के द्वारा लगायी गयी मानवशक्तियों का आई0 वी0 आर0 आई0 कैम्पस मे प्रवेश हेतु अपना फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड/पेन कार्ड आदि की छाया प्रति गेट पर सुरक्षा अनुभाग मे जमा करनी होगी।

**7–सभी इच्छुक केता/ठेकेदार को नीलामी में सम्मिलित होने के लिये रू0 1000/– नकद के रूप में जमा करना होगा ।**

8–कूड़ा गेट बाहर ले जाने हेतु अनुभाग से गेटपास प्राप्त करना आवश्यक होगा तथा उपरोक्त अजैविक कूड़े को उठाने का कार्य संस्थान के कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से सांय 4.30 बजे तक करना होगा। तथा सप्ताह में कम से कम एक बार कूड़ा उठाना आवश्यक है ऐसा नहीं करने पर प्रति सप्ताह रू0 1000/– डैमेज चार्ज लगाया जायेगा तथा लगातार तीन सप्ताह कूड़ा न उठाने पर नीलामी निरस्त कर दी जायेगी।

**9–केता को नीलामी धनराशि का 25 प्रतिशत नीलामी समाप्त होने के बाद तुरन्त जमा करना होगा तथा शेष 75 प्रतिशत धनराशि एक सप्ताह में जमा करनी होगी । साथ ही नीलामी राशि का 10 प्रतिशत धरोहर राशि के रूप में जमा करना होगा तभी नीलामी आदेश जारी किया जायेगा। धरोहर राशि कार्य संतोषजनक पूर्ण होने के उपरांत वापस कर दी जायेगी।**

10–निविदा प्रकिया के द्वारा चयनित ठेकेदार/फर्म को कूड़े के निस्तारण की अवधि 31 मार्च 2026 को समाप्त हो जायेगी।

11–नीलामी प्रकिया को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का पूरा अधिकार निदेशक महोदय, भा0प0चि0अनु0 संस्थान को होगा।

12–यदि केता/ठेकेदार और संस्थान के बीच किसी प्रकार का मतभेद या विवाद की स्थिति आती है तो उसे आपसी परामर्श/विचार विमर्श द्वारा सुलझा लिया जायेगा तथा ऐसा न होने की स्थिति में विवाद मध्यस्थता सुलह अधिनियम 1966 के अन्तर्गत निपटाया जायेगा।

13–कार्य के दौरान संस्थान की किसी सम्पत्ति की क्षति होने पर सम्पूर्ण भरपायी केता को करना होगी अन्यथा धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी, तथा ठेका/नीलामी को निरस्त कर दिया जायेगा।

14–कूड़ा उठाते समय ठेकेदार को जीवन रक्षक सम्बन्धी मानकों का पालन करना होगा।

15–ठेका को कभी भी बिना नोटिस के निदेशक भा0 प0 चि0 अनु0 सं0 के द्वारा समाप्त किया जा सकता है।